



33613 - कुर्बानी के जानवर को ज़बह करने के लिए नियुक्त किए गए वकील के लिए जुल-हिज्जा के पहले दस दिनों के दौरान अपने सिर को मुंडाने में कोई आपत्ति की बात नहीं है

---

### प्रश्न

अगर किसी आदमी ने मुझे अपने कुर्बानी के जानवर को ज़बह करने के लिए वकील (प्रतिनिधि) नियुक्त किया है, तो क्या जुल-हिज्जा के पहले दस दिनों के दौरान मेरे लिए अपने बालों को मुंडाने की अनुमति है?

### विस्तृत उत्तर

हर प्रकार की प्रशंसा और गुणगान केवल अल्लाह तआला के लिए योग्य है।

हर प्रकार की प्रशंसा और गुणगान केवल अल्लाह के लिए योग्य है।

जी हाँ, ऐसा करना जायज़ है। क्योंकि बालों और नाखूनों को काटने का निषेध विशिष्ट रूप से उस व्यक्ति के लिए है जो कुर्बानी करने वाला है, और कुर्बानी करने वाला वह व्यक्ति होता है जो कुर्बानी के जानवर का मालिक है। रही बात उस व्यक्ति की जिसे उस जानवर को ज़बह करने लिए वकील (प्रतिनिधि) नियुक्त किया गया है, तो उसके ऊपर इनमें से कोई भी चीज़ अनिवार्य नहीं है।

शैख इब्ने बाज़ रहिमहुल्लाह ने फ़रमाया :

“वकीलों (प्रतिनिधियों) पर कोई चीज़ अनिवार्य नहीं है क्योंकि वे लोग (वास्तव में) कुर्बानी करने वाले नहीं हैं, बल्कि कुर्बानी करने वाले वे लोग हैं जो उन्हें वकील बनाने वाले हैं।”

“फ़तावा इस्लामिया” (2/316).